छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 2009

(श्रावण-6, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03 तथा 05 से 07 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 4 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री धर्मजीत सिंह अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 9 तारांकित प्रश्न एवं 28 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 02 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने जिला रायगढ़ के खरसिया नगरपालिका क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन का वितरण न किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने जिला बस्तर में टाटा इस्पात संयंत्र के प्रभावितों को मुआवजा वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईः-

(1) श्री महंत रामसुंदर दास
(2) श्री सौरभ सिंह
(3) श्री नंदकुमार पटेल
(4) श्री धर्मजीत सिंह
(5) श्री विरेन्द्र कुमार साहू
(6) श्री भोलाराम साहू
(7) श्री दूजराम बौद्ध
(8) श्री लेखराम साहू

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह
(2) श्री संतोष बाफना
(3) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर
(4) श्री कुलदीप सिंह जुनेजा
(5) श्री विरेन्द्र कुमार साहू

6. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में नक्सली गतिविधियों में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति

श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की। (जारी)

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

(1.30 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-
डॉ. सुभाऊ कश्यप, श्री नंदकुमार पटेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री नारायण चंदेल, गुरुमुख सिंह होरा, संतोष बाफना, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री रविशंकर त्रिपाठी, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम,

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 4 (1) पर चर्चा तथा माननीय मंत्री के उत्तर पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, अग्नि चंद्राकर, विरेन्द्र कुमार साहू, टी.एस.सिंहदेव, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, रामदयाल उईके, श्रीमती सुमित्रा मारकोले, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री दूजराम बौद्ध, लेखराम साहू, गुरु रूद्रकुमार, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री रविन्द्र चौबे।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 7.08 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 2009 (श्रावण 7, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा